कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया म0प्र0

–:: निविदा सूचना ::–

क्रमांक 1444/तीन–3–1/09 उमरिया, दिनांक 22.07.2024

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमरिया में निम्नानुसार कार्य हेतु खुले रूप में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित की जाती है:–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कार्य का नाम
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया	प्रतिलिपि अनुभाग उमरिया में फोटोकॉपी का कार्य आउटसोर्स के माध्यम से करवाये जाने हेतु

–खुली निविदा में भाग लेने हेतु निविदा शर्तें निम्नानुसार होगी–

1– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला न्यायालय, उमरिया के पक्ष में 6 महीने की अवधि के लिए वैध बैंक की गारंटी/एफडीआर/डीडी के रूप में 10000/– रूपये (केवल दस हजार रूपये) की ईएमडी के साथ सभी प्रकार से पूर्ण मुहरबंद निविदा एक लिफाफे में रखकर जिला एवं सत्र न्यायालय में **दिनांक 09.08.2024 के सांय 5:00 बजे तक प्रस्तुत किया जाना चाहिए।** अपूर्ण/सर्शत/विलंबित निविदाएं एवं बिना नकद धनराशि के या तिथि पर सभी या किसी भी कर/प्रभार को शामिल किए बिना निविदाएं अस्वीकर कर दी जांएगी।

2– निविदाएं निविदाकारों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में **दिनांक 10.08.2024 को** प्रशासनिक समिति, जिला न्यायालय, उमरिया के समक्ष खोली जांएगी, जो निविदाकार उपस्थित रहना चाहें उपस्थित हो सकते हैं। उद्धत दरों, अनुबंध के नियमों ओर शर्तों में ओवरराइटिंग या परिवर्तन या संशोधन नहीं होना चाहिए। सभी फार्म/अनुलग्नक–1 पर फर्म की मुहर के साथ विधिवत् हस्ताक्षर होने चाहिए।

3– परफॉरमेन्स गारंटी– स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बैंक गारंटी/एफडीआर /अकाउंट पेयी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पक्ष में अनुमानित अनुबंध मूल्य का 5 प्रतिशत् परफॉरमेन्स सुरक्षा प्रदान करेगा। परफॉरमेन्स सुरक्षा वारंटी/दोष दायित्व, यदि कोई हो, सहित अनुबंध के पूरा हाने के तारीख से 60 दिनों तक वैध होगी।

4– फोटोकॉपी सभी करों और सरकारी स्तरों सहित प्रति कॉपी दर के आधार पर फर्म द्वारा प्रदान की जाएगी। फोटोकॉपी प्रति दर क्रमशः एक तरफ/दोनों तरफ के लिए अलग–अलग निर्दिष्ट की जानी चाहिए।

5— फोटोकॉपी मशीन को निर्देशों के अनुसार जिला न्यायालय के परिसर में स्थापित करना होगा। ठेकेदार को कार्यालय समय के दौरान मशीन की उपलब्धता सख्ती से सुनिश्चित करनी होगी।

6— दर अनुबंध/कार्य आदेश की अधिसूचना की तारीख से कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा। हालांकि संतोषजनक सेवाओं के अधीन, अनुबंध की अवधि को समान नियमों और शर्तों पर अधिकतम 03 वर्षों की अवधिक के लिए वर्ष दर वर्ष आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है। किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त पाये जाने की दशा में उस व्यक्ति का तत्काल ठेका समाप्त कर दिया जावेगा।

7— कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा, अनुबंध अवधि के दौरान दरों में संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी और नियमों के अनुसार करों में कटौती की जाएगी। सरकार द्वारा लागू वैधानिक शुल्कों को छोड़कर अनुबंध की अवधि के दौरान दर सरंचना में कोई बदलओं नहीं होगा। यदपि अधिसूचना/विनियमों में परिवर्तन के माध्यम से जो कंपनियां एक वर्ष के लिए प्रभावी कीमत उद्धृत कर सकती हैं, उन्हें ही आवेदन करने की आवश्यकता है।

8— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्य की आवश्यकता के अनुसार मशीनों की संख्या को आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है। ठेकेदार द्वारा बिना रूके कार्य को करना होगा की कार्यालय का कार्य में कोई व्ययधान नहीं हो इसके लिए अन्य मशीन की स्टैंडबाई व्यवस्था करना होगी जिससे कार्य बिना रूके संचालित किया जावे।

9— कोई परिवहन शुल्क या कोई अन्य शुल्क नहीं दिया जाएगा।

10— फोटोकॉपी मशीन के रख—रखाव की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी स्टेशनरी की आपूर्ति की लागत जैसे अच्छी गुण्वत्ता वाला कागज 75 जीएसएम, टोनर, स्टेपलर पिन और अन्य आकस्मिक लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी। फोटोकॉपी मशीन को संचालित करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति लगाने की जिम्मेदारी और उनकी नियुक्ति पर होने वाला व्यय भी ठकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

11— ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा की कार्यलय में फोटोकॉपी का काम सुचारू रूप से चले ताकि काम के निष्पादन में किसी भी कठिनाई से बचा जा सके, अन्यथा 500/— रूपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बाजार से फोटोकॉपी कार्य के निष्पादन पर खर्च की गई अतिरिक्त राशि भी फर्म के लंबित बिलों/परफॉरमेन्स सुरक्षा से काट ली जाएगी।

12— कार्य आदेश के अनुसार स्थापित की जाने वाली फोटोकॉपी मशीन एक वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, और ठेकेदार मॉडल/वर्ष को सत्यापित करने के लिए खरीद आदेश प्रस्तुत करेगा।

13– फर्म द्वारा प्रस्तावित फोटो कॉपी मशीन की विशिष्टता के साथ मेक और मॉडल, सेवा कर का प्रमाण और टिन नंबर और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/अन्य सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों या अन्य प्रतिष्ठित संगठनों की सूची जिनके लिए आउटसोर्सिंग सेवाएं दी जाती हैं। ठेकेदार द्वारा दस्तावेजी प्रमाण और पते, सम्पर्क व्यक्ति का नाम, फोन नं. आदि जैसे पूर्ण विवरण के साथ संतोषजनक सेवाओं की रिपोर्ट के साथ फोटोकॉपी की गई है/प्रदान की जा रही हैं, जिसे बोली दस्तावेज के साथ भी प्रस्तुत किया जाएगा।

14– यह सुनिश्चित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी की किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अदालत के किसी भी अधिकारिक दस्तावेज तक पंहुच न मिले। इस शर्त का उलघंन करने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी और ईएमडी/परफॉरमेन्स सुरक्षा बिलों को जप्त करने के अलावा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध को समाप्त किया जा सकता है।

15– ठेकेदार अनुबंध के निष्पादन के दौरान नैतिकता के उच्चतम् मानक का पालन करेगा। ठकेदार की ओर से भ्रष्ट या धोखाधड़ी का कोई भी कार्य अनुबंध की समाप्ति और परफॉरमेन्स सुरक्षा को जप्त करने, ठेकेदार को काली सूची में डालने और कानून के तहत् किसी भी अन्य कार्यवाही को आकर्षित करेगा।

16– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की मंजूरी के बिना किसी भी उपठेके के मंजूरी नहीं दी जायेगी।

17– छूट प्राप्त जोखिमों के अलावा अनुबंध के निष्पादन के दौरान और उसके दौरान उत्पन्न होने वाली भौतिक सम्पत्ती की हानि और क्षति और व्यक्तिगत चोट और मृत्यु के सभी जोखिम ठेकेदार की जिम्मेदारी है।

18– जिला न्यायालय ठेकेदार को केवल बिजली और स्थान निःशुल्क प्रदान करेगा और कोई अन्य सुविधा प्रदान नहीं की जावेगी।

19– यदि दूसरा पक्ष अनुबंध की शर्तों का उलंघन करता है तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार को एक महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जावेगा।

20– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास ठेकेदार या उनके कर्मचरियों द्वारा जानबूझकर या अन्यथा सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने में किसी गंभीर चूक के लिए ठेकेदार पर जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित होगा।

21– यदि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार या उसके कर्मचारियों के व्यवहार या प्रदान की गई सेवाओं की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हैं तो ठेकेदार को दोषों को सुधारने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया जावेगा, ऐसा न होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जुर्माना लगाने के अलावा उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगें।

22– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठेकेदार को केवल फोटोकॉपी सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान जारी करेगा। यदि अनुबंध की शर्तों का कोई उलंघन होता है, तो नियोक्ता, अनुबंध के तहत् अपने अन्य सुधारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता द्वारा उसके मासिक बिल से आवश्यकता अनुसार काम पूरा न कर पाने की घटना/प्रति दिन 500/–रूपये, अनुबंध मूल्य से अधिक्तम 10 प्रतिशत की कटौती तक का जुर्माना लगाये/कटौती की जावेगी। वह कागज और मुद्रण आदि के मापदंडों के अनुसार संतोषजनक नहीं पाये गये कार्य के लिए भुगतान को भी अस्वीकार किया जावेगा।

23– अनुबंध का निष्पादन ठेकेदार का दायित्व है और वह साइट पर सभी गतिविधियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

24– अनुबंध की निरंतरता के दौरान ठेकेदार हर समय मौजूदा श्रम अधिनियम और उसके तहत् बनाये गये नियमों, राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण के विनियमों, अधिसूचनाओं और उप कानूनों और किसी भी अन्य श्रम कानून नियमों सहित का पालन करेगा। विनियम, उपनियम जो पारित किये जा सकते हैं या अधिसूचना जो भविष्य में किसी भी श्रम कानून के तहत् राज्य या केन्द्र सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी की जा सकती है यदि किसी अधिनियम या उसके तहत् बनाये गये नियमों, विनियमों या संशोधनों सहित अधिसूचनाओं के किसी भी प्रावधान के उलघंनों के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है, तो वह नियोक्ता (जिला एवं सत्र न्यायालय) को क्षतिपूर्ति दिलायेगा।

25– अनुबंध की अवधि के दौरान ठेकेदार की किसी चोरी या लापरवाही के कारण जिला न्यायालय परिसर की संपत्ति की हानि/क्षति की भरपाई ठेकेदार द्वारा अपने खर्च पर की जायेगी, यदि हानि या क्षति उसके कृत्यों या चूक से होती है।

26 जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा को अस्वीकार करने या पूरी तरह अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

27– समझौते के पक्षकारों के बीच कोई भी विवाद होता है तो दोनों पक्षों के बीच बातचीत से अंतिम रूप दिया जाएगा और यदि कोई सौहार्दपूर्व समझौता नहीं हो पाता है, तो विवाद को एकमात्र मध्यस्थ के पास भेजा जाएगा, और जो फैसला सुनाया जाएगा/उनके द्वारा अंतिम निर्णय दिया जाएगा, दोनों पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की कार्यवाही भारतीय मध्यस्था और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार संचालित की जाएगी।

(महेन्द्र सिंह तोमर)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया म0प्र0

पृष्ठांकन कमांक 1444 / तीन–3–1 / 09 उमरिया, दिनांक 22.07.2024

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01– आयुक्त जन संपर्क, संचालनालय विज्ञापन शाखा बाधगंगा रोड भोपाल, की ओर निःशुल्क प्रचार / प्रसार हेतु (एक अतिरिक्त प्रति सहित) एवं खुली निविदा के प्रकाशित किये जाने के समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

02– जिला जन सम्पर्क अधिकारी, जिला उमरिया की ओर प्रचार / प्रसार हेतु सूचनार्थ प्रेषित। खुली निविदा के प्रकाशित किये जाने के समाचार पत्र की प्रति इस कार्यालय में प्रेषित करना भी सुनिश्चित करें।

03– प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग उमरिया की ओर अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ प्रेषित एवं जिला नाजिर को निर्देशित करें कि उक्त निविदा की अतिरिक्त प्रति को जिला न्यायालय के नोटिस बोर्ड में चस्पा करना सुनिश्चित करें, साथ ही उक्त संस्थानों के द्वारा समाचार पत्र में प्रकाशित खुली निविदा, के समाचार पत्र की प्रति, प्राप्त कर इस कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
उमरिया म0प्र0